न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 80/15

संस्थित दिनाँक-27.02.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- आदिरामसिंह पटेल पुत्र केदारसिंह गुर्जर उम्र ४५ साल
- 2. वीरू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र केदारसिंह गुर्जर उम्र 34 साल
 - 3. 🍑 भूपेन्द्र पुत्र रामेश्वरसिंह गुर्जर उम्र 27 साल
 - जयवीरसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह गुर्जर उम्र 24 साल निवासी ग्राम रतेकापुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र०

......अभियुक्तगण

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 12.10.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 23.01.15 को 2:30 बजे फरियादी रामसहाय गुर्जर का खेत ग्राम रतेकापुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर रामसहाय की दांतों से काटकर सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 294, विकल्प में 323/34, 506 बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी रामसहाय का अभियुक्त आदिराम से जमीनी बंटवारे के सिलसिले में पंचायत होकर सीमा चिन्ह—मुड्डी गाड़ी गई थी। दिनांक 23.01.2015 को दिन के करीब ढाई बजे फरियादी अपने खेत पर मौजूद होकर मुड्डी देख रहा था उसी समय अभियुक्तगण आये और मां—बहन की गंदी—गंदी गाली देने लगे जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो उसकी लात घूसों से मारपीट कर दी। शोरगुल सुनकर भतीजा राजकिशोर और बंटी आ गये जिन्हें देख अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क० 08/15 पंजीबद्ध किया। दौरान अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपन्न पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1.क्या दि0 23.01.15 को 2:30 बजे फरियादी रामसहाय गुर्जर के शरीर पर दांतों से काटने की कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ तो उसकी प्रकृति ?
 - 2.क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व फरियादी के खेत ग्राम रतेकापुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर रामसहाय की दांतों से काटकर सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर खेंच्छा उपहति कारित की ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, बंटी अ०सा० 2 राजिकशोर अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7. प्रकरण में बंटी अ0सा0 2 जो यह कथन करता है कि फरियादी रामसहाय उसके पिता थे जिनकी साक्ष्य से दो माह पूर्व मृत्यु हो गई। उसके पिता रामसहाय का खेत की मुड्डी गाड़ने पर विवाद हो गया था जिस पर अभियुक्तगण ने उसके पिता से गाली गलौच व धक्का मुक्की कर दी थी जिसकी उसके पिता द्वारा थाना एण्डोरी में रिपोर्ट की गई थी। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में कथित रूप से उसके पिता को किसी धारदार वस्तु अथवा किसी अभियुक्त द्वारा मानव दांतों से काटने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अन्य चक्षुदर्शी साक्षी राजिकशोर अ0सा0 3 उसके समक्ष कोई भी घाटना होने के तथ्य से इंकार करता है। दोनों साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर दिया है। साक्षीगण सूचक प्रश्नों में इस सुझाव से इंकार करते है कि दिनांक 23.01.2015 को जब रामसहाय खेत पर खड़े होकर मुड्डी देख रहे थे तब अभियुक्तगण ने उन्हें मां—बहन की अश्लील गालियाँ दी थी तथा मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गई। साक्षीगण उनके पुलिस कथन क0 02 और 03 के विनिर्दिष्ट भागों ए से ए में अभियुक्तगणों द्वारा फरियादी रामसहाय की मारपीट किये जाने के संबंध में तथ्य लिखाये जाने से इंकार करते हैं।
- 8. प्रकरण में फरियादी रामसहाय की साक्ष्य के पूर्व ही मृत्यु हो गई जिसके संबंध में साक्षी को जारी आदेशिकाओं पर उसकी मृत्यु हो जाने से तथा उसके पुत्र बंटी अ0सा0 2 पर शपथ पूर्वक कथन के माध्यम से उसके पिता की दो माह पूर्व मृत्यु होने जाने का तथ्य प्रस्तुत किया है।

- 9. प्रकरण में चिकित्सक आलोक शर्मा अ०सा० 1 के अभिसाक्ष्य के अनुसार दिनांक 23.01.2015 को उन्होंने आरक्षी केन्द्र एण्डोरी के आरक्षक उदयवीर द्वारा लाये जाने पर आहत रामसहाय को परीक्षण करने पर दाये बखा पर 3 गुणा 2.5 सेमी० दांत से कटे का निशान पाया था। इसके अलावा दाहिनी कोहनी पर नील का निशान एवं दाहिने पैर पर छिलन का घाव होना पाया था। चोट क० 1 मानव दातों से कारित होना संभावित थी और चोट की अवधि परीक्षण से 12 घण्टे की भीतर की होने की सुसंगत राय देते हैं। चूँिक किसी साक्षी द्वारा प्रकरण में रामसहाय को अभियुक्तगण में से किसी व्यक्ति द्वारा दांत से काटने के संबंध में कथन नहीं किया गया और न ही पुलिस कथन प्र0पी० 02 व 03 में कोई भी उल्लेख है यहां तक कि पुलिस रिपोर्ट जो अभियोग पत्र का भाग है उसमें भी किसी अभियुक्त द्वारा दांत से काटने के संबंध में तथ्य लेख नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई भी सारवान साक्ष्य नहीं पाई जाती है।
- 10. संहिता की धारा 324 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु असन, भेदन या धारदार वस्तु या क्षारीय वस्तु अथवा ऐसी घातक वस्तु जिसका इस प्रकार प्रयोग करने से मृत्यु कारित होना संभव है, के माध्यम से स्वेच्छा उपहित कारित किए जाने के संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है। अभिलेख पर किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त या अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी धारदार वस्तु से उपहित कारित किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है। जहां तक पुलिस कथन कमशः 02 व 03 का प्रश्न हैं तो उसके संबंध में सुस्थापित है कि वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर संहिता धारा 324/34 से दोषमुक्त किया जाता है। राजीनामा का प्रभाव अन्य आरोपों के संबंध में शमन किए जाने के आधार पर दोषमुक्ति का होगा।
- 11. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलके निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 12. अभियुक्तगण की यदि कोई निरोध अविध हो तो इस संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 13. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता स्थायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ALIMANA PAROLES AND SUNT